न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः औमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः 72 / 2025
निर्णय दिनांक : 17.12.2025
दायर दिनांक : 23.05.2025
जीसीएमएस कमांकः 2025 / 175

1. समीर शंभू सेन पुत्र शंभू जमाल सेन उम्र 67 वर्ष जाति मुसलमान ढाढी निवासी H&206 OFFICE BLDG, VERSOVA ROAD OPP PALM BEACH APARTMENT ARAM NAGAR-2, MUMBAI MAHARASTRA

.......वादी

बनाम

1. अंकिता खेतान पत्नी आयुष खेतान उम्र 35 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी जे. बी. रोड कस्बा सुजानगढ तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
2. आलमअलीखान पुत्र बोदूखों उम्र 56 वर्ष जाति कायमखानी निवासी स्टेशन बास नजदीक कायमखानी मदरसा कस्बा सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
3. इन्दिरा धर्मपत्नी रामेश्वरलाल उम्र 47 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम आबसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
4. एस.के. बिल्डर्स जरिये प्रोपराईटर आसिफखां पुत्र आरिफखॉ उम्र 30 वर्ष जाति कायमखानी निवासी ड्रीमलाईट के पीछे कस्बा सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
5. गंगाराम पुत्र पुरखाराम उम्र 60 साल जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील ठ.ठ. बीदासर जिला चूरू राजस्थान
6. गोपालराम फोगावट पुत्र जैसाराम फोगावट उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम तासर छोटी, तहसील सीकर जिला सीकर राजस्थान
7. तारिक अजीज पुत्र आरिफखों उम्र 33 वर्ष जाति कायमखानी निवासी 68, राजकीय उच्च प्रथमिक विधालय की गली वार्ड नंबर 33 कस्बा सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
8. बाबूलाल छापोला पुत्र भंवरलाल छापोला उम्र 62 वर्ष जाति कुम्हार निवासी 87 नेमी नगर एक्सटेन्शन इन साईड गेट नंबर 2 पुलिस स्टेशन के पास वैशाली नगर जयपुर राजस्थान
9. मनोज किशनलाल पुत्र किशनलाल उम्र 33 वर्ष जाति सुथार निवासी प्लाट नंबर 70 स्वामी समर्थ सोसाइटी लक्ष्मीनगर सांगली महाराष्ट्र
10. मोहम्मद न्याज पुत्र बाबूखॉ उम्र 35 वर्ष जाति कायमखानी निवासी होलीधोरा वार्ड नंबर 27 कस्बा सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

11. राजेश कुमार पुत्र आशाराम उम्र 37 वर्ष जाति जाट निवासी वार्ड नंबर 38 राम मंदिर के पास प्रगतिनगर कस्बा सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
12. रामसुख बेडा पुत्र भागीरथराम उम्र 48 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम रताउ ड.ठ. तहसील लाडनूं जिला डीडवाना कुचामन राजस्थान
13. छतरसिंह मालू पुत्र माणिकचन्द मालू जाति ओसवाल निवासी मुंबई शहर पिनकोड 400053 (महाराष्ट्र)
14. राधेश्याम जोशी पुत्र सांवरमल जोशी जाति ब्राहमण निवासी स्टेशन रोड दुदहीशहर जिला कुशीनगर पिनकोड 274302 उतरप्रदेश
15. श्रवणराम पुत्र हरजीराम उम्र 37 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम बाघसरा ड.ठ आथूणा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
16. शाहरूख खान पुत्र आरिफखॉ उम्र 31 वर्ष जाति कायमखानी निवासी कन्दोई बिल्डिंग के पीछे वार्ड नंबर 33 कस्बा सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
17. सेनूदेवी चौहान धर्मपत्नी चन्द्रशेखर चौहान उम्र 45 वर्ष जाति माली निवासी रेलवे माल गोदाम के पीछे चाणक्यपुरी कस्बा सुजानगढ तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
18. सोहनलाल टाक पुत्र मगाराम उम्र 63 वर्ष जाति माली निवासी गोपालपुरा रोड नलिया बास वार्ड नंबर 5 कस्बा सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
19. हरीराम स्वामी पुत्र गणपतराम उम्र 44 वर्ष जाति स्वामी निवासी ग्राम आबसर ड.ठ. तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

..........प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री बजरंग सिंह।
2. प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04, 06, 07, 10, 13, 14, 16, 17 व 18 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही।
3. प्रतिवादी संख्या 03, 05, 09, 12, 15 व 19 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल बिशु।
4. प्रतिवादी संख्या 08 व 11 की ओर से श्री बाबुलाल कीलका।
5. प्रतिवादी संख्या 20 पैरोकार राज तहसीलदार सुजानगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला-चूरू

<u>–ःदावा विभाजनः–</u>

–ःनिर्णयः–

संक्षेप में दावा के तथ्य यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा नंबर 376/218 तादादी 5.8546 हैक्टेयर वाके रोही गुलेरिया तहसील सुजानगढ जिला चूरू में स्थित है। जिसे वाद में आगे

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

वादगत खेत से सम्बोधित किया गया है। जिसमें वादी का 2658/29273 हिस्सा नियत है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 का रहन, सहन, खान–पान, लेन–देन सब अलग अलग है वादगत खेत का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 ने मौखिक विभाजन भी करवा रखा है। वादी ने अपने हिस्से पांति के पूर्वी–पश्चिमी व दक्षिणी उतरी तरफ पक्की दीवार बनाई हुई है। जिसके इस भूमि के पूर्व खातेदार द्वारा पूर्वी दक्षिणी तथा पश्चिमी तरफ रास्ते छोडे हुये है जो मौके पर चालू है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में एवं अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वोह वादगत खेत की संयुक्त खातेदारी में से अपने हिस्से पांति एवं कब्जा काश्त, उपयोग की 2658/29273 हिस्सा की खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करवाकर अपने नाम से पृथक रूप से खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अंकित करवाकर लगान का विभाजन करवाये जिसका वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी द्वारा मौखिक व आपसी विभाजन के मुताबिक विधिवत विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर अपने अपने हिस्से की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में पृथक–2 अंकित करवाने का निवेदन किया तो वे इन्कार हो गये जिस कारण वादी को वाद हैतुक प्राप्त है। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 के संयुक्त खातेदारी, उपयोग, उपभोग का खेत खसरा नंबर 376/218 तादादी 5.8546 हैक्टेयर वाके रोही गुलेरिया तहसील सुजानगढ जिला चूरू का मौखिक एवं आपसी विभाजन के मुताबिक विधिवत विभाजन कर वादी के हिस्से की भूमि जिसमें वादी का 2658/9273 हैक्टेयर हिस्सा है जिसके पश्चिमी, पूर्वी व दक्षिणी तथा उतरी तरफ दीवार बनी हुई है एवं पूर्वी दक्षिणी व पश्चिमी तरफ रास्ते की भूमि है जो रास्ते मौके पर चालू है के नाम पृथक राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकित की जाकर लगान का विभाजन किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 10, 11, 14, 16, 17 व 18 को विधिवत तामील होने के उपरान्त भी न्यायालय हाजा में हाजिर नहीं आने की स्थिति में इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही (Ex Parte) की गयी। प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा प्रार्थना पत्र इकतरफा कार्यवाही निरस्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया जिसपर वादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं होने की स्थिति में इकतरफा कार्यवाही आदेश को अपास्त किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 03, 05, 08, 09, 11, 12, 15 व 19 की ओर से जवाबदावा मय कॉस सूट प्रस्तुत किया गया तथा दावा मुताबिक कॉससूट डिकी किये जाने बाबत निवेदन किया।

वादगत भूमि के विभाजन हेतु वादी ने यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादी के हिस्सा, कब्जा व मौकानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया था जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने विभाजन प्रस्तुत तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं।

बहस बहुपक्षीय विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादी तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति नहीं होना स्वीकार किया। वादी अधिवक्ता द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी तथा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादगत भूमि खेत ख०न० 376/218 तादादी 5.8546 हैक्टेयर वाके रोही गुलेरिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में उतने ही हिस्सा पांति के रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज स्थित है।

एक रिकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

—:आदेश:—

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 20 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत ख०न० 376/218 तादादी 5. 8546 हैक्टेयर वाके रोही गुलेरिया का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शों के दर्शितानुसार राजस्व रिकार्ड का विभाजन कर लगान कायम करें व नक्शे में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना–अपना स्वयं वहन करें। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरू

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अजअदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**
बइजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

समीर शंभु सेन बनाम अंकिता खेतान आदि

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन

मुकदमा न0 72 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री बजरंगसिंह, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 20 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत ख०न० 376/218 तादादी 5.8546 हैक्टेयर वाके रोही गुलेरिया का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शों के दर्शितानुसार राजस्व रिकार्ड का विभाजन कर लगान कायम करें व नक्शे में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना–अपना स्वयं वहन करें।

चीज...मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।
[illegible] मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 **माह 12** **2025**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

दस्तखत ....
ओहदा उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़

...र

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	[illegible]	पै.
स्टाम्पअर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनतानावकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्पबकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्जकरना चाहिये।